सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 21, सोमवार, *शाके 1946*-अगस्त 12, *2024* *Sravana 21, Monday, Saka 1946- August 12, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2024

संख्या प. 35(1) गृह-9/2006पार्ट :-राज्य सरकार को अवगत कराया गया है कि बीकानेर जिले से लगने वाली भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्करों घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका है व बीकानेर जिले की अर्न्तराष्टीय सीमा के निकट विभिन्न स्थानों में स्थित पीसीओ के माध्यम से आपराधिक व अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति इन केन्द्रो पर जाकर दूरसंचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं उन व्यक्तियों को भेजते है जो भूमिगत होकर देश अथवा राज्य की सुरक्षा एवं लोक-व्यवस्था के संधारण में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में लिप्त है। इसके साथ ही जिले से लगने वाली पाकिस्तान सीमा के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्तर्गत 3-4 किलोमीटर तक आ रहा है फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्किोण से पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने एवं पीसीओ से सम्पर्क/सूचना आदि देने की गतिविधियों से लोक परिशांति लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा के संधारण में गंभीर खतरा बन गया है।

राज्य सरकार की सन्तुष्टि हो गयी है कि बीकानेर जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों के रोके जाने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट बीकानेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 पढी जायेंगी) के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 5472-573 दिनांक **21-06-2024** द्वारा लागू किये गये रात्रि कालीन अनिश्चार एवं पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग करने बाबत् आदेश (प्रतिबन्ध) की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 पढी जायेंगी) के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 5472-573 दिनांक **21-06-2024** की अवधि उक्त आदेश की समाप्ति से एतद्द्वारा आगामी छः माह तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अपर्णा गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव गृह।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।